‘बजट घोषणाओं को क्रियान्वित कर प्रदेश को ‘अग्रणी राजस्थान’ बनाएंगे’

दौसा। विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड अध्यक्ष रामगोपाल सुथार ने कहा कि राज्य सरकार ने ‘समावेशी विकास’ एवं ‘सर्वजन हिताय’ की संकल्पना के साथ आने वाली पीढ़ियों के बेहतर भविष्य के लिए ‘ग्रीन ग्रोथ’ पर केन्द्रित बजट प्रस्तुत करते हुए ‘विकसित राजस्थान-2047’ की ओर प्रभावी कदम बढ़ाए हैं। उन्होंने कहा कि इस बजट की सभी घोषणाओं को समयबद्ध रूप से धरातल पर क्रियान्वित कर प्रदेश को नया, विकसित और ‘अग्रणी राजस्थान’ बनाएंगे। युवाओं के लिए एक लाख 25 हजार पदों पर भर्ती की घोषणा की गई है। सुथार रविवार को यहां जिला कलक्ट्रेट सभागार में राज्य बजट के संबंध में पत्रकारों के साथ वार्ता कर रहे थे।

सुथार जिला कलक्ट्रेट सभागार में राज्य बजट के संबंध में पत्रकारों के साथ वार्ता की।

विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड अध्यक्ष ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं, उसमें राजस्थान की मजबूत अर्थव्यवस्था की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) बढ़कर 19.89 लाख करोड़ अनुमानित की गई है, जो अर्थव्यवस्था के लिए अच्छे संकेत है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी की ओर से प्रस्तुत बजट में बुनियादी सुविधाओं के साथ गरीब, मजदूर, किसान एवं युवाओं के लिए बहुत कुछ दिया गया है।

इस बजट में प्रदेश के साथ दौसा जिले के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश है कि बजट घोषणाओं को त्वरित ढंग से धरातल पर क्रियान्वित किया जाना है। इसके लिए जहां भूमि की जरूरत होगी, वहां शीघ्र भूमि आवंटित की जाएगी और त्वरित गति से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां जारी कर कार्य शुरु किए जाएंगे। रामगोपाल सुथार ने पेयजल, सड़क, बिजली एवं सिंचाई जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए किए गए बजट प्रावधानों का जिक्र करते हुए कहा कि जल जीवन मिशन की अवधि 2028 तक बढ़ाकर 20 लाख घरों में पेयजल कनेक्शन देने का प्रावधान किया गया है। साथ ही, मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन (शहरी) भी प्रारम्भ किया गया है। उन्होंने कहा कि राम जल सेतु लिंक परियोजना (संशोधित पीकेसी-ईआरसीपी) के लिए 9 हजार 416 करोड़ रुपए के कार्यादेश व 12 हजार 64 करोड़ रुपए की निविदाएं जारी कर इसको त्वरित गति से धरातल पर लाया जा रहा है।

21 हजार किलोमीटर नॉन पेचेबल सड़कों के कार्य के लिए 6 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रति विधानसभा 10-10 करोड़ रुपए से नॉन पेचेबल सड़क कार्य कराए जाएंगे।

उन्होंने राज्य के औद्योगिक विकास की चर्चा करते हुए कहा कि ‘राईजिंग राजस्थान’ में किये गये एमओयू धरातल पर आना प्रारम्भ हो गए हैं। 18 नवीन औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है, जिनमें से एक दौसा के बांदीकुई में विकसित होगा। विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के लिए 2 करोड़ रुपये कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। पंच गौरव योजना में एक जिला-एक उत्पाद को प्रोत्साहित करने के लिए 550 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी वर्गों के लिए संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है।

खोया पाया

मेरा राजस्थान फार्मेसी काउंसलिंग द्वारा जारी फार्मासिस्ट पंजीयन प्रमाण पत्र संख्या 85500, जारी दिनांक 21.10.2023 कहीं खो गया। मिलने पर संपर्क-मूलाराम, निवासी बेरीवाला तला, बाडमेर-344703 मोबाइल-9950993635

नाम परिवर्तन

मैंने अपना नाममहेन्द्र कुमार से बदलकर महेन्द्र कुमार लोढ़ा कर लिया है भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जावें। पता-एफ1/19-ए, कल्याणपुरी, न्यूसांगानेर रोड, सोडाला, जयपुर-19

मैं आर्मी नम्बर JC491115M Sub. Maj Harjit Kumar S/o Anar Singh R/o Dharoli, Jhajjar Haryana. Pin 124109 आर्मी सर्विस रिकोर्ड के अनुसार मेरी धर्मपत्नी का नाम Sukvinder गलत दर्ज है सही एवं वास्तविक नाम Sukhwinder Kaur. Vide Affidavit BX 233870 Jaipur. Dated 24.01.2025

I Naval Singh, Father of Khushi Shekhawat Resi-Vill-Godiyawas, Post-Suliyawas, Tehsil-Danta Ramgarh, Sikar Raj. have changed my Child Name from Khusi Shekhawat to Khushi Shekhawat. vide Affidavit dated 10.02.2025 before Jaipur.

I, Upinder Swami Son of 2498530H Hav Surendra Kumar Swami R/o village Pithalpur Post Pithalpur tehsil shrimadhopur District Sikar have changed my name from Upinder Swami to Upendra Swami vide affidavit dated 08.02.2025 before District court shrimadhopur.

I, Supyar Kumari W/o 2498530H Hav Surendra Kumar Swami R/o village Pithalpur Post Pithalpur tehsil shrimadhopur District Sikar have changed my name from Supyar Kumari to Supyar Devi vide affidavit dated 08.02.2025 before District court shrimadhopur.

तीये की बैठक

हमारे पूजनीय **श्री मुकुटलाल** सुपुत्र स्व. ग्यारसीलाल जी राजेरिया का स्वर्गवास 23.2.25 को हो गया। तीये की बैठक 25.2.25 को 4:30 से 5:30 आदर्श विद्या मंदिर, अंबाबाड़ी में होगी।

शोकाकुल- बंकटलाल- शांति, कन्हैयालाल- कौशल्या, लालचंद- रामजानकी (भ्राता- वधू) भंवरलाल- अल्का, ओमप्रकाश- पुष्पा (पुत्र- पुत्रवधू) राघव- स्नेहा (पौत्र- पौत्रवधू) कृष्णा (पौत्र) कंचन- दौलतराम जी, रतन- सुभाष जी, जतन- चौथमल जी (बहन- बहनोई) सुनीता- विनोद जी, अनिता- राकेश जी, सरिता- लक्ष्मीकुमार जी, प्रेम- मुकेश जी, शशि- अमित जी, रेखा- श्याममोहन जी (पुत्री- दामाद) निधि- रत्नेश जी, प्रसन्ना- जय जी, निशु- मुदित जी, सुरभि- तरंग जी (पौत्री- दामाद) सिद्धांत, एकाक्ष, प्रहान (पड़दोहिता)

नम्बर मिलाइए
9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

अलवर संसदीय क्षेत्र में आमजन का बढ़ा सम्मान

■ सरकारी दफ्तरों में लोगों की सुनवाई के साथ अब होने लगे हैं काम, बैठक में अधिकारियों को देना पड़ता है मंत्री को जवाब

खैरथल। भूपेंद्र यादव देश के बड़े नेता हैं और यह खैरथल का सौभाग्य है कि उन्हें खैरथल की सेवा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलवर में भेजा है। भूपेंद्र यादव भी अपने क्षेत्र को चमकाने और मोदी की गारंटी को पूरा करने में अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। यही कारण है भूपेंद्र यादव दस महीने में ही क्षेत्र की जनता के दिलों में राज करने लगे हैं और लोग भूपेंद्र की गारंटी को पूरा होने की गारंटी मानने लगे हैं।

लेकिन यह बात विपक्ष की पार्टी के नेताओं के गले अभी नहीं उतर रही है वरना वह राजस्थान सरकार के बजट में खैरथल अलवर और बहरोड़ को मिली ऐतिहासिक सौगात को लेकर यह बात नहीं कहते कि कुछ नहीं मिला। भूपेंद्र यादव की संसदीय क्षेत्र अलवर में तीन जिले आते हैं और इन में पहला जिला अलवर और उसके बाद नए बने खैरथल तिजारा व बहरोड कोटपुतली जिले आते हैं। इस बजट में तीनों ही जिलों के विकास की मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखा गया है। अब रही बात बजट में कुछ मिलने की नहीं मिलने की यह तो जनता अब सब समझती है और वह यह भी समझती है कि विपक्ष इसे स्वीकार भी नहीं करने वाला है। और इसे बुरा भी नहीं मानना चाहिए क्योंकि देश प्रदेश में किसी भी पार्टी की सरकार क्यों ना हो सब अपने प्रदेशवासियों और देशवासियों की खुशी और उन्नित के लिए बजट तैयार करती है और उस बजट से जनता खुश हैं तो फिर विपक्ष के खुश होने नहीं होने से कोई फर्क भी सरकार पर नहीं पड़ता है। इसलिए अलवर की जनता ने भूपेंद्र यादव के प्रयासों से राजस्थान सरकार के बजट में मिली सौगात को क्षेत्र की प्रगति और उन्नित वाला बताया है हर कोई भूपेंद्र यादव के प्रयासों की सराहना कर रहा है। स्थानीय और बाहरी के बीच हुए चुनाव में लोगों ने जिस आशा और उम्मीद के साथ भूपेंद्र यादव को दस माह पहले अपनाया है उसी उम्मीद पर भूपेंद्र यादव भी अभी तक क्षेत्र की जनता की कसौटी पर खरा उतर रहे हैं।

भारत सरकार में मंत्रालय की बड़ी जिम्मेदारी संभालते हुए वह जितना समय अपने क्षेत्र के विकास के लिए दे रहे हैं शायद ही अभी तक पहले किसी सांसद ने क्षेत्र में इतना समय दिया हो। क्षेत्र के लोगों को परेशानी नहीं हो दिल्ली नहीं आना पड़े इसके लिए भूपेंद्र यादव ने नवाचार करते हुए अपने संसदीय क्षेत्र के अलवर खैरथल भिवाड़ी व बहरोड जिला मुख्यालयों पर सांसद सुविधा केंद्र खोल रखे है वहां अपने प्रतिनिधि बैठाएं हुए है जो नियमित बैठकर लोगों की बातों को सुन रहे और उनका स्थानीय स्तर पर समाधान भी करा रहे हैं।

कृषि विज्ञान केंद्र नौगांवा में किसान सम्मान समारोह सम्पन्न

अलवर । कृषि विज्ञान केंद्र नौगावां (अलवर) में जिला स्तरीय किसान सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित होगा जिसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भागलपुर बिहार से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किश्त लाभार्थियों को हस्तांतरित की तथा लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री मोदी ने किसानों को संबोधित किया और सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्रदान की। इस दौरान रामगढ विधायक श्री सुखवंत सिंह ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के लाभार्थी किसानों को सम्मानित किया।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रामगढ़ के विधायक श्सुखवंत ने बताया कि किसान सम्मान निधि जो किसानों को वित्तीय सहायता 2019 से मिल रही है, राज्य सरकार द्वारा भी

किसान सम्मान समारोह कार्यक्रम में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किश्त लाभार्थियों को हस्तांतरित की।

किसान सम्मान निधि को प्रोत्साहन मिल रहा है। अब इस राशि को 6000 से बढ़कर 9000 कर दिया गया है। इस दौरान कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उन्नत तकनीकों के उपयोग और उनके प्रचार-प्रसार के लिए किसानों को सम्मानित किया गया। डॉ. सुभाषचंद्र यादव ने अपने संबोधन में कहा कि कृषि में नवाचारों को अपनाकर ही किसानों की आय को दोगुना किया जा सकता है। उन्होंने किसानों से जैविक खेती, जलवायु अनुकूल कृषि तकनीकों और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग पर जोर दिया।

‘नर से नारायण बनने का सबसे बड़ा माध्यम मानव सेवा ही है’

निवाई। पूर्व मुख्य सचेतक स्व. महावीरप्रसाद जैन की पुण्यतिथि पर सोमवार को अग्रवाल सेवा सदन में जिला स्तरीय नि:शुल्क दिव्यांग सहायता शिविर का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर जैन मुनि समत्वसागर महाराज ने कहा कि नर से नारायण बनने का सबसे बडा माध्यम मानव सेवा ही है। मुनिश्री ने चंवरिया परिवार एव आयोजन समिति के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए सराहना की।

सन्त प्रकाशदास महाराज ने कहा कि मानव सेवा समाज सेवा व गो सेवा ही वर्तमान में सबसे बडा धर्म है। सभा में पूर्व विधायक अजीत मेहता ने कहा कि स्व. महावीरप्रसाद जैन हमारे राजनीतिक गुरु रहे हैं। उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। मेहता ने स्व. महावीरप्रसाद जैन के 1975 में अपातकाल में 19 माह तक जेल मे रहने के संस्मरण साझा किए। विनयांजली सभा में राष्ट्रीय स्वयं संघ के क्षेत्रीय सेवा प्रमुख शिवलहरी ने कहा कि स्व. महावीरप्रसाद जैन ईमानदार व दबंग व्यक्तित्व के धनी थे। राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश नरेंद्रकुमार जैन ने स्व. महावीरप्रसाद जैन के जीवन स्मरण बताते उन्हें याद कर भाव श्रद्धांजलि अर्पित की शिविर से पूर्व 800 से अधिक दिव्यांगजनों का पंजीकरण हुआ। जिनकी शिविर स्थल पर विशेषज्ञों द्वारा जांच की। विभिन्न उपकरणों हेतु रजिस्टर्ड किया। शिविर स्थल पर ही अतिथियों द्वारा शिविर में प्रथम दिन 70 ट्राईसाईकिल, 20 जयपुर फुट, 100 श्रवण यन्त्र, 50 बैसाखी, 30 छडी, 5 कृत्रिम हाथ, 25 व्हीलचेयर वितरित की गई। उन्होंने बताया कि 100 से अधिक रोगियों को आयुर्वेदिक चिकित्सक ने जांच कर निशुल्क दवाई वितरित की। शिविर में भगवान् महावीर विकलांग सहायता समिति, महावीरप्रसाद धर्माथ सेवा ट्रस्ट निवाई, सकल दिगम्बर जैन समाज निवाई व भारत विकास परिषद निवाई सहयोग किया।

नोटिस हर खास व आम 91/11.2.25

न्यायालय अपर जिला एवम सैशन न्यायाधीश क्रम सं.2 हिण्डौन सिटी। मु.नं. 01/25

सुरेन्द्र, देवेन्द्र, पिंसरान श्याम लाल, पिंकी पुत्री श्याम लाल, जाति जोगी नि.पीपलहेडा, हिण्डौनसिटी, करौली। बनाम हरखास व आम

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थीगण सुरेन्द्र, देवेन्द्र, पिंकी पि. श्याम लाल जाति जोगी नि. पीपलहेडा तह. हिण्डौन ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर मृतक श्रीमती ग्यासी देवी पत्नि श्यामलाल जाति जोगी नि. पीपलहेडा तह. हिण्डौन की मृत्यु के पश्चात ग्यारसी देवी के खाता बैंक ऑफ बडौदा शाखा हिण्डौन में खाता सं. 07000100023680 पर प्रधानमन्त्री बीमा योजना के अंतर्गत मिलने वाले बीमा धन 2 लाख रूपया तथा चल व अचल सम्पत्ति एवम बैंक में जमा धन राशि एफ डी आर, बीमा क्लेम राशि बाबत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी कर उक्त राशि को प्राप्त करने हेतु उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्रार्थनापत्र पेश किया गया है। लिहाजा जिस किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति, उज्र हो तो वह अपनी आपत्ति/उज्र इस न्यायालय की निश्चित दिनांक 10.3.2025 को प्रात: 10 बजे असालतन या वकालतन न्यायालय में पेश करे। वरना बाद गुजरने म्याद दिनांक को कोई आपत्ति स्वीकार नही की जावेगी और प्रार्थनापत्र एक तरफा फैसला कर दिया जावेगा। बसब्त मेरे दस्ताखतम व मुहर अदालत से आज दि. 11.2.2025 को जारी किया गया है।

आज्ञा से-सीनीयर रीडर-अपर जिला एवं (मुहर) सैशन न्यायाधीश सं.-2 हिण्डौन सिटी

आम सूचना दि. 24.02.2025

न्यायालय तहसीलदार फुलेरा मु. सांभरलेक जिला जयपुर

दूरभाष नम्बर-01425-228219
ई-मेल-tdrsbr@ymail.com
क्रमांक-भू.अ./2025/625
दिनांक-24.02.2025

सार्वजनिक सूचना नोटिस

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नबी अहमद पुत्र मो. उमर जाति मुसलमान निवासी 173 मदीना नगर निवारू रोड जयपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संबंध में मृतक नसीर खां पुत्र मिश्री खां जाति मुसलमान के नाम दर्ज खातेदारी भूमि खाता संख्या 281 वाके ग्राम कस्बा सांभर का फौती नामान्तरण खुलवाने बाबत प्रकरण भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135(2) के तहत हाजा न्यायालय में विचाराधीन है।

अत यदि किसी दीगर व्यक्ति को कोई आपत्ति/एतराज हो तो आगामी दिनांक 06.03.2025 तक मय दस्तावेज पेश करें अन्यथा इकतरफा कार्यवाही कर प्रार्थी के पक्ष में निर्णय पारित कर दिया जावेगा।

तहसीलदार (भू.अ.)
फुलेरा मु. सांभरलेक

प्रपत्र संख्या 7 (देखिये नियम 21)

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग जयपुर

प्रपत्र संख्या 7 (देखिये नियम 21)

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर 77/2025

सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग जयपुर

प्रपत्र संख्या 7 (देखिये नियम 21)

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर 63/2025

सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग जयपुर

प्रपत्र संख्या 7 (देखिये नियम 21)

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर 61/2025

सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग जयपुर

प्रपत्र संख्या 7 (देखिये नियम 21)

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर 60/2025

सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग जयपुर

प्रपत्र संख्या 7 (देखिये नियम 21)

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर 66/2025

सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग जयपुर

प्रपत्र संख्या 7 (देखिये नियम 21)

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर 64/2025

सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग जयपुर

आम सूचना सर्व साधारण को सुचित किया जाता है कि प्लाट नं. बी-459 संजय नगर, भटटा बस्ती जयपुर का एक मात्र मालिक निसार अहमद पुत्र स्व. श्री चॉद बक्श है। जिसमे उनके दो किरायेदार भी रह रहे हैं। निसार अहमद के पुत्र जमील अहमद का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं श्रीमती नसरीन बानो का विधवा पेंशन के कागजात बनाने के लिए प्लाट नं. बी-459 के मूल कागजात लेकर कलेक्ट्रेट बुलवाया। लेकिन मूल कागजात आज तक भी नही लोटाये है। रजिस्टर्ड पत्र भी भेज दिया। कोई भी प्लाट नं. बी-459 नसरीन बानो पत्नि जमील अहमद एवं हसन अहमद पुत्र जमील अहमद से नही खरीदे। अन्यथा स्वयम् जिम्मेवार होगा।

जयपुर (फैजान हुसैन) एडवोकेट
दिनांक-24/2/2025 मो.नं:-8824515124

नगर निगम जयपुर, हैरिटेज
(पुराना पुलिस मुख्यालय, हवामहल के पास)

क्रमांक-एफ 13 () उपा. लैण्ड/ननिज./2025/2302 दिनांक:- 12/02/25

सार्वजनिक सूचना

मूल भूखण्ड सं. दूकान नं. 24, बनीपार्क विस्तार, जयपुर का पट्टा श्री राजेन्द्र सैनी पुत्र श्री दुर्गाप्रसाद सैनी को दिनांक 23.04.1969 को 88.88 व.ग. का पट्टा जारी किया गया था। श्री राकेश कुमार खण्डेलवाल पुत्र श्री दुर्गा प्रसाद खण्डेलवाल द्वारा उपहार पत्र के आधार पर व शपथ पत्र प्रस्तुत कर का एवं अन्य दस्तावेजो के आधार पर आवेदन प्रस्तुत कर 88.88 व.ग. नाम हस्तानान्तरण हेतु आवेदन किया गया है। इस बाबत किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कम्पनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय (उपायुक्त लैण्ड शाखा) में प्रस्तुत करें, अन्यथा निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद, नियमानुसार नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी।

उपायुक्त (लैण्ड) नगर निगम जयपुर, हैरिटेज

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्यगण श्री रमेश सैनी पुत्र स्वर्गीय श्री मलखान सिंह एवंमुन्नी देवी पत्नी श्री रमेश कुमार निवासी 17 ए, राज हंस कॉलोनी 3, ब्रह्मपुरी जयपुर राजस्थान द्वारा अपनी पुत्री अन्नुप्रीति सैनी पुत्री श्री रमेश सैनी को जो कि मेरे अभिभाष्यगण के कहे में न होकर अन्य के बहकावे में हैं। जिसके द्वारा आए दिन मेरे अभिभाष्यगण से झगडा फसाद किया जाता है। उक्त अन्नुप्रीति ने मेरे अभिभाष्यगण व परिवारजनों की इच्छा के विरूद्ध जाकर विवाह कर लिया हे। उसकी इस हरकत से तंग आकर मेरे अभिभाष्यगण ने अन्नुप्रीति को अपनी चल अचल सम्पत्ति सहित सभी अधिकारों से बेदखल कर दिया हे। मेरे अभिभाष्यगण की चल अचल सम्पत्ति में अन्नुप्रीति का कोई अधिकार या हित नहीं रहा है ना ही मेरे अभिभाष्यगण या उसके परिवार से अब अन्नुप्रीति का किसी प्रकार का कोई संबंध रहा है। जो कोई भी अन्नुप्रीति से किसी भी प्रकार का कोई लेन देन या संव्यवहार करता है तो उसकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी। अत सूचित रहे।

(प्रीतम सैनी) अधिवक्ता, मो. 9521899944

सूचना मेरे पति की PNB Metlife में पोलिसी है जिसका पोलिसी नं. 20488138 है। इस पोलिसी में मेरे पति का नाम पुनीराम बैरवा (Pooni Ram Bairwa) है और आधार कार्ड में Puran Chand Bairwa है। और जिनमें जन्म तिथि क्रमश 15.10.1973 व 01.01.1955 जवकि मृत्यु प्रमाण पत्र में Puran Chand Bairwa है जो कि तीनो नाम व जन्मतिथि एक ही व्यक्ति की है। उपरोक्त पोलिसी में नॉमिनी हूँ। जिसमें मेरा नाम Gulab है जवकि दस्तावेजों में मेरा नाम Gulab Devi है। जिसमें जन्म तिथि क्रमश 15.08.1977 एवं 01.01.1961 इन दोनों नाम व जन्मतिथि एक ही व्यक्ति की है इनको आधार मानकर हमारा क्लेम प्रोसेस किया जाए।

DEPONENT

आम सूचना मेरी अभिभाष्या श्रीमती विदुषी गर्ग धर्मपत्नी स्व. श्री पंकज गर्ग, निवासी 39, गणेश नगर, लॉयर्स कॉलोनी, आगरा उत्तर प्रदेश हाल निवासी 143, गोम डिफेन्स कॉलोनी, खातीपुरा, जयपुर राजस्थान की ओर से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी अभिभाष्या के स्वामित्व का प्लाट संख्या 143, गोम डिफेन्स कॉलोनी, खातीपुरा, जयपुर जिसका कुल क्षेत्रफल 291.66 वर्गगज जयपुर में स्थित है। जिसके विक्रय का सौदा मेरी अभिभाष्या द्वारा दिनांक 03.10.2024 को श्री कनव नन्दा पुत्र श्री निलेश नन्द, निवासी 248 गुरु जम्बेश्वर नगर ए, गांधी पथ, जयपुर एवं श्रीप्रिया गुप्ता पुत्र श्री अमन गुप्ता, निवासी 15, चाणक्यपुरी, तीज टयूरिस्ट बंगले के पीछे, बनीपार्क, जयपुर राज. से किया था, जिसके पेटे आंशिक राशि दिनांक 29.09.2024 व 03.10.2024 को दिया जाना व सम्पूर्ण बकाया भुगतान तीन माह में किया जाना तय हुआ था। किन्तु उपरोक्त दोनों व्यक्तियों द्वारा इकरारनामा दिनांक 03.10.2024 के अनुसरण में आज दिनांक तक भुगतान नहीं किया है। जिसके बावजूद भी उपरोक्त दोनों व्यक्तियों द्वारा बकाया भुगतान नहीं कर विक्रय पत्र का पंजीयन नहीं करवाया हे। जिस कारण श्री कनव नन्दा व श्रीप्रिया गुप्ता को जरिये आम सूचना सूचित किया जाता है कि विक्रय पत्र की नियत तिथी दिनांक 02.01.2025 को सम्पूर्ण भुगतान करने में असफल होने के परिणामस्वरूप मेरी अभिभाष्या की ओर से इकरारनामा दिनांक 03.10.2024 निरस्त किया जा चुका है तथा दी गयी अग्रिम राशि जब्त (फोरफिट/हजम) हो गयी है, तथा मेरी अभिभाष्या बिना किसी अन्य पृथक सूचना के उपरोक्त वर्णित संपत्ति अन्य किसी व्यक्ति/संस्था को विक्रय करने हेतु स्वतंत्र हे। कोई भी दीगर व्यक्ति उक्त संपत्ति के बाबत कनव नन्दा व श्रीप्रिया गुप्ता से किसी प्रकार का संव्यवहार नहीं करें, यदि ऐसा पाया जाता है तो उसकी तमाम जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति/संस्था की रहेगी। मेरी अभिभाष्या की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अतः सूचित रहे।

मनीष कटारिया, एडवोकेट, मो. 98877-22335

राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-भिवाडी

आवश्यक सूचना मूलतः आवास संख्या 11/43, अरावली विहार योजना, भिवाड़ी श्री दामोदर शर्मा को आवंटन पत्र क्रमांक 2411 दिनांक 29.09.2016 के द्वारा आवंटित किया गया था। मण्डल द्वारा इनके पक्ष मे अदेय प्रमाण पत्र क्रमांक 4699 दिनांक 24.03.2017 को जारी किया जा चुका है। इनके द्वारा उक्त आवास की रजिस्ट्री स्वयं के पक्ष मे दिनांक 24.03.2017 को उप पंजीयक भिवाड़ी मे पंजीकृत करवाई जा चुकी है। इनके द्वारा दिनांक 24.03.2017 के पंजीकृत मुख्तारनामा द्वारा श्री राहुल अत्री को मुख्तारआम धारक नियुक्त किया गया। श्री राहुल अत्री द्वारा मुख्तारआम धारक की हैसियत से उक्त आवास का बेचान दिनांक 19.05.2017 के पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा श्रीमती कौशल्या पत्नी श्री सुरेन्द्र कुमार सैनी को किया गया है।
मंडल द्वारा इनके पक्ष मे लीज स्थानान्तरण पत्र क्रमाक 429 दिनाक 08.07.2021 को जारी कर दिया जा चुका है। श्रीमती कौशल्या ने आवास का बेचान पंजीकृत विक्रय पत्र के जरिये दिनांक 25.08.2022 को श्रीमती हेमलता सिंह पत्नी श्री महिपाल सिंह को कर दिया। श्रीमती हेमलता सिंह द्वारा स्वयं के नाम से आवास का लीज डीड परिवर्तन करने के लिए प्रपत्र एवं प्रशासनिक शुल्क उच्च आय वर्ग दूसरी बार विक्रय का राशि रुपये 1000.00 जमा कराकर चालान व आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि उक्त मकान का लीज स्थानान्तरण उनके पक्ष मे किया जाये।
अत जरिये इस विज्ञिप्त यह आगाह किया जाता है कि उक्त मकान संख्या 11/43 अरावली विहार, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड भिवाड़ी के संबंध मे किसी प्रकार का किसी भी व्यक्ति विशेष या हितकारी को एवं आम व्यक्ति को उजर एतराज हो तो वह इस विज्ञिप्त के प्रकाशित होने के 10 दिवस मे आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल खण्ड भिवाड़ी मे अपना एतराज लिखित मे प्रस्तुत करे अन्यथा श्रीमती हेमलता सिह पत्नी श्री महिपाल सिंह के पक्ष मे मकान संख्या 11/43 अरावली विहार, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, भिवाड़ी के लीज स्थानान्तरण की कार्यवाही की जावेगी।

आवासीय अभियन्ता
राजस्थान आवासन मण्डल खण्ड-भिवाडी

COLLEGE OF AGRICULTURE
(S.K.N. Agriculture University-Jobner), Bhusawar : Bharatpur (Rajasthan)-321406

No. : F.( )/Dean-COAB/2025/1092-96 Dated :- 22/02/2025

NOTICE INVITING BID

Bid for open tender regarding AC, Camera and Microphone, Television & Visitor Chair are invited from interested bidders up to 12 PM, 03.03.2025. Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal (http://sppp.raj.nic.in) of the state or www.sknau.ac.in University website.

NIB Code SKN2425A0433 and UBN is SKN2425GSOB00430

Raj.Samwad/C/24/12179 DEAN

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता (मानसरोवर) नगर निगम, ग्रेटर जयपुर
सेक्टर-9, गोखले मार्ग, शिप्रा पथ रोड़, मानसरोवर, जयपुर

क्रमांक :- ज.स.अ./2024/306 दिनांक :- 21/02/2025

ई-निविदा सूचना सं. अधि0 अभि0 (मानसरोवर) - 54/2024-25

केन्द्र एवं राज्य सरकार के सभी विभागों में पंजीकृत संवेदको एवं नगर निगम जयपुर के पंजीकृत निविदादाताओं से बिड अधि0 अभि0 (मानसरोवर जोन) से सम्बन्धित विकास कार्य की निविदा आमंत्रित की जाती है। कार्य की अनुमानित लागत, टेण्डर बेचे जाने तथा प्राप्त करने की तारीख, टेण्डर शर्त आदि सम्पूर्ण विवरण नगर निगम जयपुर की वेबसाईट www.jaipurmc.org.com व http;//sppp.raj.nic.in & eproc.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है। जिसका sppp पोर्टल यू.बी.ई.एन. नं. JMC2425WSOB01432 है। उक्त निविदा को http://sppp.raj.nic.in पर दिनांक 20.02.2025 को अपलोड करवा दिया जायेगा।

राज.संवाद/सी/24/12209 अधिशाषी अभियन्ता, मानसरोवर जोन

रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/99 REGD. No. D.L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी. डी.एल.-अ.-03022025-260726
CG-DL-E-03022025-260726
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग-II खण्ड 3-उप-खण्ड (ii)
PART II-Section 3-Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 563 नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 31, 2025/माघ 11, 1946
No. 563 NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 31, 2025/MAGHA 11, 1946

सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2025

का.आ. 567 (अ).- केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, राजस्थान राज्य के सवाईमाधोपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-552 एक्सटेंशन के किमी 69+750 से किमी 75+750 तक के निर्माण (चोड़ीकरण/2 लेन / चार लेन बनाने आदि) अनुरक्षण प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत मक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है

अनुसूची

राजस्थान राज्य के सवाईमाधोपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- 552 एक्सटेंशन के किमी 69+750 से किमी 75+750 पर भूमि का अधिग्रहण।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	उपखण्ड	राष्ट्रीय	राजस्थान	सवाईमाधोपुर	सवाईमाधोपुर	1 जीनापुर
2	THE GAZETTE OF INDIA: EXTRA ORDINARY					(PART II SEC.3(II))
	अधिकारी सवाई माधोपुर	राजमार्ग संख्या NH552 Ex. के कि.मी. 69.75 से कि.मी. 75.75 तक				2 बोरीफ 3 कुशतला 4 आलनपुर 5 बम्बोरी 6 खेरदा

(फा.सं.RW/JAI/RJ/CE-RO/NH-12012/2025/03)
DIPR/C/2119/2025 अभय जैन, निदेशक

संख्याः भा.ति.सी.पु./21वीं वा0/स्था-2/न्या0 जाँच / सि (पायनियर) धर्मपाल / 2025-1008
कार्यालय सेनानी, 21वीं वाहिनी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल गृह मंत्रालय / भारत सरकार पत्रालय : पंथाचौक, श्रीनगर (ज. व क.)

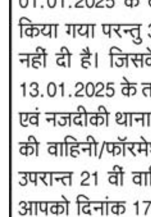

दिनांक : 13/02/25

नोटिस

दल संख्या 160500159 कॉस्टेबल (पायनियर) धर्मपाल पुत्र श्री लक्ष्मण राम गांव एवं डाकघर-धोलाखेडा, पुलिस स्टेशन-उदयपुरवटी, जिला-झुनझुनु, राज्य-राजस्थान, पिन कोड-333307 को सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 17.11.2024 (पूर्वा0) से बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति एवं पूर्व सूचना के अवकाश से अनुपस्थित चल रहे है। 21वी वाहिनी के कार्यालय ज्ञापन संख्या 3058-60 दिनांक 25.11.2024, 3365ए दिनांक 20.12 2024 एच 3437 दिनांक 01.01.2025 के तहत आपको बार-बार ड्यूटी पर आमद देने के लिए निर्देशित किया गया परन्तु आपके द्वारा अभी तक अपनी आमद 21वीं वाहिनी मुख्यालय में नहीं दी है। जिसके उपरान्त 21 वी वाहिनी के पत्रांक संख्या-155-166 दिनांक-13.01.2025 के तहत आपके गृहजनपद के जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं नजदीकी थाना प्रभारी को आपको गिरफ्तार कर भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की वाहिनी/फॉरमेशन में सुपुर्द करने हेतु सूचित भी किया जा चुका है। जिसके उपरान्त 21 वीं वाहिनी के आदेश संख्या-740-55 दिनांक-08.02.2025 के तहत आपको दिनांक 17.11.2024 (पूर्वा0) से **"भगौड़ा"** घोषित किया जा चुका है तथा अब "सेवा से बर्खास्त" किया जाना प्रस्तावित है।

2: अतः दल संख्या 160500159 कॉस्टेबल (पायनियर) धर्मपाल पुत्र श्री लक्ष्मण राम को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि आप अपने बचाव पक्ष में कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहते है तो इस नोटिस के समाचार पत्र में प्रकाशित होने के 30 दिन के अन्दर 21वीं वाहिनी भा0ति0सी0पु0 बल, पंथाचौक, श्रीनगर (ज.व.क) में उपस्थित होकर अपना बचाव पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह समझ लिया जायेगा कि आप भा0ति0सी0पु0 बल में सेवा करने के इच्छुक नहीं है तथा तदानुसार आपको "**सेवा से बर्खास्त**" किये जाने के आदेश पारित कर दिये जाएगें।

(अजय निर्मलकर)
कमाण्डेंट
21वीं वाहिनी भा0ति0सी0पु0 बल

CBC 19112/11/0213/2425